

पंजीकरण सं० 12/2018-19

पंजीकरण प्रमाण पत्र

श्री विजय सिंह पुत्र श्री भारत सिंह, निवासी 18/82 सोहबतिया बाग, थाना जार्जटाउन, तहसील सदर, जिला इलाहाबाद को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद में भवन/मार्ग एवं पुल के सिविल निर्माण के लिये "सी" श्रेणी में टेकेदारों हेतु पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद के अन्तर्गत समस्त प्रखण्डों में मान्य होगा तथा इस प्रतिबन्ध के साथ दिनांक 30.08.2021 तक वैध होगा कि किसी भी समय टेकेदार द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रपत्र/तथ्य यदि गलत पाया जाता है तो पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा, एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। इस प्रमाणपत्र की कालता दिनांक 30.08.2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नोट:- टेकेदार को पंजीकरण/पंजीकीकरण कराने के उपरान्त इस विभाग के नियमों के अन्तर्गत अधिसूचों का पंजीकरण करना एवं लागूताका प्राप्त करना अनिवार्य है।

अधीक्षण अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
परिमण्डल इलाहाबाद

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधिसूची अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद।
2. अधिसूची अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड इलाहाबाद को पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा इलाहाबाद सिविल लाइन्स द्वारा निर्गत एफ0डी0आर0 सं०-856834 दिनांक 07.09.2017 जमा धनराशि रु० 1,00,000.00 जो अयोहस्ताक्षरी के पदनाम बंधक है, मूलरूप में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया उक्त जमानत धनराशि को अपनी सेफ कस्टडी में रख लें और जब तक इस स्तर से कोई आदेश/निर्देश निर्गत न किये जायें तब तक बंधक मुक्त न करें (संलग्नक मूल रूप में)।
3. श्री विजय सिंह पुत्र श्री भारत सिंह, निवासी 18/82 सोहबतिया बाग, थाना जार्जटाउन, तहसील सदर, जिला इलाहाबाद द्वारा अधिसूची अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड इलाहाबाद।



अधीक्षण अभियन्ता  
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग  
परिमण्डल इलाहाबाद।